तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.9.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 25.1.24 को पेश हो।	
.1.24	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना मे अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 21.5.24 को पेश हो ।	
21.5.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 3-9-24 को पेश हो।	
3.9.24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 2.1.25 को पेश हो।	
2.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र T.I. हेतु वकील अप्रार्थी ने अवसर चाहा। अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 22-1-25 को पेश हो। पुनश्च वकील प्रार्थी ने T.I. हेतु बहस अर्ज की। वकील अप्रार्थी ने बहस हेतु अवसर चाहते हुए बहस करने से मना किया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-1-25 को पेश हो।	
22.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र T.I. मे वकील प्रार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रा०पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की... में जा...

मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेज, जवाब अप्रार्थीगण आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट "क" का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण ने अपने खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमियों के चारों ओर खेतो के करीबन 50-60 साल पहले से मेड़बंदी कर रखी है। जब मेड़बंदी हुई उस समय प्रार्थीगण का कोई अस्तित्व नही था। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से मेंड तोड़कर कभी कब्जा नही किया है।

अतः नक्शा परिशिष्ट "क" एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत नही होता है। सुविधा सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण
23
के पक्ष मे प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी
5
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RT Act अस्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)